# न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

| | |
|---|---|
| स्वत्व वाद संख्या | :– 303/2019 |
| CIS No. | :– TS/303/2019 |
| CNR No. | :– BRWC22–000437–2019 |

**शेख अब्दुल गफ्फार एवं अन्य** बनाम् **बिहार सरकार एवं अन्य**

| दिनांक | आदेश फलक | अभियुक्ति |
|---|---|---|
| **<u>21.02.2022</u>** | अभिलेख पेश हुयी। वादीगण व प्रतिवादीगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष विद्वान को प्रार्थनापत्र दिनांक 31.01.2022 पर सुना गया।<br>**<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक</u>**–31.01.2022<br>प्रार्थनापत्र दिनांक–31.01.2022 वादीगण द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा विवादित स्थल के मेड़ पर लगे वृक्ष को काटकर उसका स्वरूप बदलने पर आमदा हैं। अत: वादपत्र में वर्णित विवादित भूखण्ड का निरीक्षण अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा किये जाने की याचना की गई है।<br>प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित व मौखिक आपत्ति की गयी है।<br>प्रतिवादी संख्या 16 ता 22 एवं 27 की ओर से वादीगण के प्रार्थनापत्र का समर्थन किया गया है।<br>सुना तथा अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया।<br>प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र दिनांक 31.01.2022 वादीगण द्वारा विवादित स्थल का निरीक्षण जरिये न्यायालय अधिवक्ता आयुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विवादित स्थल की मौजूदा स्थिति एवं नजरी नक्शा यदि किसी स्वतंत्र माध्यम से न्यायालय के समक्ष आ जाती है तो ऐसे में वाद में निहित मुद्दों को अंतिम एवं वास्तविक रूप से निस्तारित करने में निश्चित ही सहायता मिलेगी। प्रार्थनापत्र शपथपत्र दिनांक 31.01.2022 तदनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है। | |

# न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 303/2019
CIS No. :— TS/303/2019
CNR No. :— BRWC22–000437–2019

**शेख अब्दुल गफ्फार एवं अन्य** बनाम् **बिहार सरकार एवं अन्य**

| लगातार<br>**21.02.2022** | **आदेश**<br>प्रार्थनापत्र दिनांक 31.01.2022 मात्र विवादित स्थल का निरीक्षण कर उसकी वस्तुस्थिति व उसपर लगे वृक्षों का विवरण एवं नजरी नक्शा के साथ छायाचित्र प्रस्तुत किए जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। वादीगण वास्ते कराये जाने निरीक्षण जरिये अधिवक्ता आयुक्त श्री लक्ष्मण प्रसाद (Enr. No. 3534/2001), विद्वान अधिवक्ता को वादी के रू० 3000/– खर्चे पर नियुक्त किया जाता है। कार्यालय संबंधित अधिवक्ता को रिट जारी करे। न्यायालय अधिवक्ता आयुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विवादित स्थल की वस्तुस्थिति व उसपर लगे वृक्षों का विवरण के संबंध में पूर्ण आख्या एवं नजरी नक्शा के साथ छायाचित्र अग्रिम नियत तिथि दिनांक 08.03.2022 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादीगण वास्ते कराये जाने निरीक्षण जरिये अधिवक्ता आयुक्त नियमानुसार पैरवी अन्दर 7 दिन में करना सुनिश्चित करे।<br>अभिलेख प्रस्तुति अधिवक्ता आयुक्त आख्या/अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08.03.2022 को पेश हो।<br><br>( मानस कुमार )<br>अवर न्यायाधीश तृतीय<br>न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज | |
|---|---|---|